



Rek. No. KU/R/...6.38...113

Date ...27.7.13

अधिसूचना

मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के पत्रांक 5/स1-15/2013-1202/उ0 शि0 दिनांक 27.07.13 के द्वारा जामिनीकांत बी0एड0 महाविद्यालय, सालबनी को बी0 एड0 पाठ्यक्रम के लिए अस्थायी संबंधन की शर्ताधीन स्वीकृति वित्त रहित निम्न विवरणी के साथ प्रदान की जाती है:-

क्र0सं0	पाठ्यक्रम	शैक्षणिक सत्र	अभियुक्ति
1	बी0 एड0	2013-14	अस्थायी नवसंबंधन

शर्तें:

1. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् पूर्व क्षेत्रीय कमेटी, भुवनेश्वर के द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की प्रस्वीकृति रद्द करने अथवा वापस लेने की स्थिति में यह अस्थायी नवसंबंधन स्वतः रद्द समझा जायेगा।
2. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् पूर्व क्षेत्रीय कमिटी, भुवनेश्वर के पत्रांक ERC/7-150.6.25/NCTE/B.Ed/2013/16581 दिनांक 20.03.13 में निहित सभी शर्तों को सतत् पूरा करता रहेगा।
3. यदि भवन में बी0 एड0 प्रशिक्षण के अलावे कोई अन्य कार्यक्रम संचालित होता है तो संबंधन/नवसंबंधन आदेश रद्द कर दिया जायेगा।
4. एन0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित 200 शिक्षण दिवस, जिसमें 40 दिन शिक्षण अभ्यास भी सम्मिलित है, का पालन महाविद्यालय सुनिश्चित करेगा और इसके उपरांत ही छात्र-छात्राओं को विश्वविद्यालय में सम्मिलित होने की अनुमति होगी।
5. छात्रों के नामांकन में एन0सी0टी0ई0, राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्ड को पूर्णतः पालन किया जाय तथा विभागीय संकल्प 1382 दिनांक 20.05.2004 एवं इस संबंध में निर्गत सभी अनुवर्ती परिपत्रों द्वारा नामांकन संबंधी प्रक्रिया को महाविद्यालय पूरा करेगा तथा नामांकन में आरक्षण नियमों का अक्षरशः पालन करेगा।
6. शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया एवं सभी मापदण्ड, के अनुरूप होगा।
7. महाविद्यालय संबंधन दीर्घीकरण की अनुमति पाये बिना अगले सत्र हेतु छात्रों का नामांकन नहीं करेगा।

कुलपति के आदेश से
ह0/-
कुलसचिव
कोल्हान विश्वविद्यालय
चाईबासा

पत्रांक सं0...ku/R/638/13
प्रतिलिपि:-

दिनांक...27-7-13

1. प्राचार्य, जामिनीकांत बी0एड0 महाविद्यालय, सालबनी।
2. कुलपति/कुलसचिव के सहायकों को उनके सूचनार्थ।
3. परीक्षा नियंत्रक/सहायक कुलसचिव को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ।
4. संचिका में।

21.07.13

(के0 सी0 डे)
कुलसचिव
कोल्हान विश्वविद्यालय
चाईबासा